

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 141

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/WAITING/13	श्री शिवेन्द्र सिंह भदौरिया पिता श्री सतेंद्र सिंह, पता-381, सतीमाता मंदिर के पास, महेन्द्र नगर नवादा बाग, भिंड, जिला-भिंड, मध्य प्रदेश, पिन- 477001, मोबाईल-7000032052	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड डबरा जिला-ग्वालियर


यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।

1.3.2024

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 01.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


1-3-2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...कृ.पृ.उ..

पृ.क्र. 205 | स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024

प्रतिलिपि -

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
09. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड डबरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित श्री/सुश्री शिवेन्द्र सिंह भदौरिया पिता श्री सतेंद्र सिंह, पता-381, सतीमाता मंदिर के पास, महेन्द्र नगर नवादा बाग, भिंड, जिला-भिंड, मध्य प्रदेश, पिन- 477001, मोबाईल-7000032052 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।

1-3-2024
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन'बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nlc.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 143 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
ST/NIL/OPEN/WAITING/05	श्री पावस गडावा पिता/पति श्री रविशंकर, पता- 149, साबूलाल वार्ड, पुलिस स्टेशन के पास, गढ़कोटा, जिला-सागर, मध्य प्रदेश, पिन- 470232, मोबाईल-7415331743	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड दमोह जिला- दमोह


यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


1.3.2024

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र,स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के जाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित जाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 01.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


1-2-2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...कृ.पृ.उ..

पृ.क्र. 2053 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक 01/03/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन सागर की ओर सूचनार्थ।
09. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल सागर की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- दमोह की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित श्री पावस गडावा पिता श्री रविशंकर, पता-149, साबूलाल वार्ड, पुलिस स्टेशन के पास, गढ़कोटा, जिला-सागर, मध्य प्रदेश, पिन- 470232, मोबाईल-7415331743 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


1.3.2024
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन'बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 147 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/ 20SAMVIDA/WAITING/20	श्री/सुश्री संचित पाठक पिता/पति श्री प्रभु दयाल पाठक, पता-10, रामटोरिया रोड, रैंटन गंज, बीजावर, जिला-छतरपुर, मध्य प्रदेश, पिन-471405, मोबाईल-8269480184	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड पिछोर जिला-शिवपुरी

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -



01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


1.3.24



02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र,स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 01.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


13. 2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता


.....निरंतर...कृ.पू.उ..

पृ.क्र. 2057 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक 01/03/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
09. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- शिवपुरी की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड पिछोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित श्री संचित पाठक पिता श्री प्रभु दयाल पाठक, पता-10, रामटोरिया रोड, रैंटन गंज, बीजावर, जिला-छतरपुर, मध्य प्रदेश, पिन- 471405, मोबाईल-8269480184 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।

1
1-3-2024
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन'बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल enclph@nlc.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 146

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024


//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रू.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/ 20SAMVIDA/WAITING/18	श्री/सुश्री मनु राकेश शर्मा पिता/पति श्री देवेन्द्र शर्मा, पता-वाघले का बदा, लक्ष्मी होटल के पास, शिंदे की चवानी, लशकर ग्वालियर, जिला-ग्वालियर, मध्य प्रदेश, पिन- 474001,मोबाईल-7000359686	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड भिण्ड जिला- भिण्ड


यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


1.3.2024

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 01.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


1-3-2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता



.....निरंतर...कृ.पू.उ..

पृ.क्र. २०५६ स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक ०१/०३/२०२४

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन मुरैना की ओर सूचनार्थ।
09. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल मुरैना की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- भिण्ड की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित श्री मनु राकेश शर्मा पिता श्री देवेंद्र शर्मा, पता-वाघले का बदा, लक्ष्मी होटल के पास, शिंदे की चवानी, लशकर ग्वालियर, जिला-ग्वालियर, मध्य प्रदेश, पिन- 474001, मोबाईल-7000359686 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


1.3.2024
प्रमुख अभियंता


कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन'बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 145 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टापेण्ड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/ 20SAMVIDA/WAITING/17	श्री कुलदीप सिंह तोमर पिता श्री महेंद्र सिंह तोमर, पता-0, श्री जी कॉलोनी, प्रियंका ब्यूटी पार्लर के पास, खरगोन, जिला-खरगोन, मध्य प्रदेश, पिन- 451001,मोबाईल-9826616711	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड भीकनगांव जिला-खरगोन

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


1.3.2024

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवाओं को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जाच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 01.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


1-2-2024

(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता




.....निरंतर...कृ.पृ.उ..

पृ.क्र. 2055 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक 01/03/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, इन्दौर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन खरगोन की ओर सूचनार्थ।
09. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल खरगोन की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड खरगोन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- खरगोन की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड भीकनगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित श्री कुलदीप सिंह तोमर पिता श्री महेंद्र सिंह तोमर, पता-0, श्री जी कॉलोनी, प्रियंका ब्यूटी पार्लर के पास, खरगोन, जिला-खरगोन, मध्य प्रदेश, पिन- 451001, मोबाईल-9826616711 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


1-3-2024
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन'बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 155 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024


//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
ST/NIL/OPEN/20SAMVIDA/ WAITING/22	श्री रिषभ सिक्का पिता श्री पुराण लाल सिक्का, पता-0, जनपद पंचायत, डिंडोरी, डिंडोरी, जिला- डिंडोरी, मध्य प्रदेश, पिन- 481880, मोबाईल- 9406764622	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड नैनपुर जिला-मण्डला

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


1.3.2024



02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र,स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 01.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।



1-3-2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...कृ.पृ.उ..

पृ.क्र. २०६५ स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक ०१/०३/२०२४

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन शहडोल की ओर सूचनार्थ।
09. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल शहडोल की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड मण्डला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- मण्डला की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड नैनपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित श्री रिषभ सिक्का पिता श्री पुराण लाल सिक्का, पता-0, जनपद पंचायत, डिंडोरी, डिंडोरी, जिला- डिंडोरी, मध्य प्रदेश, पिन- 481880, मोबाईल-9406764622 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


1.3.2024
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन'बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 152

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
ST/NIL/OPEN/20SAMVIDA/WAITING/11	श्री/सुश्री रॉकी मौर्या पिता/पति श्री विजय मौर्या, पता-D4/g2, स्कीम नं 78 स्लाइस 1, श्रामिक कॉलोनी, इंदौर, जिला-इंदौर, मध्य प्रदेश, पिन-452010,मोबाईल-9074535718	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड रतलाम जिला-रतलाम

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


1.3.2024



02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र,स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 01.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


1.3.2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...कृ.पृ.उ..

पृ.क्र. 2062 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक 01/03/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, इन्दौर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
09. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- रतलाम की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित श्री राँकी मौर्या पिता श्री विजय मौर्या, पता-D4/g2, स्कीम नं 78 स्लाइस 1, श्रामिक कॉलोनी, इंदौर, जिला-इंदौर, मध्य प्रदेश, पिन- 452010, मोबाईल-9074535718 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


1-3-2024
प्रमुख अभियंता


कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन'बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 151 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
SC/NIL/FEMALE/20SAMVIDA/ WAITING/03	सुश्री नेहा नागवंशी पिता/पति श्री चंद्रभुशन राज, पता-9, साई विहार कॉलोनी, होशंगाबाद, होशंगाबाद, जिला-होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, पिन- 461001,मोबाईल-9302616587	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड पिपरिया जिला-नर्मदापुरम

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -



01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


1.3.24



02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र,स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 01.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।





1-3-2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता


.....निरंतर...कृ.पृ.उ..

पृ.क्र. 2061 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक 01/03/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ।
09. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड पिपरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित सुश्री नेहा नागवंशी पिता/पति श्री चंद्रभुशन राज, पता-9, साई विहार कॉलोनी, होशंगाबाद, होशंगाबाद, जिला-होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, पिन- 461001,मोबाईल-9302616587 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।



1-3-2024
प्रमुख अभियंता


कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 153 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
ST/NIL/OPEN/20SAMVIDA /WAITING/14	श्री नितेश नारनवरे पिता श्री के आर नारनवरे, पता-वार्ड नं 03, बालघाट रोड, पेट्रोल पंप लॉजी के पास, लॉजी, जिला-बालाघाट, मध्य प्रदेश, पिन-481222, मोबाईल-8878300731	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड मवई जिला-मण्डला

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


1.3.2024



02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि ,स्टायपेंड के रूप में देय होगा । परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा , उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र,स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जा/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 01.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।




1.3.2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...कृ.पृ.उ..

पृ.क्र. 2063 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक 01/03/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
09. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल शहडोल की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड मण्डला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- मण्डला की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड मवई की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित श्री नितेश नारनवरे पिता श्री के आर नारनवरे, पता-वार्ड नं 03, बालघाट रोड, पेट्रोल पंप लॉर्जी के पास, लॉजी, जिला-बालाघाट, मध्य प्रदेश, पिन- 481222, मोबाईल-8878300731 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


1.3.2024
प्रमुख अभियंता


कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन'बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 156

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
ST/NIL/OPEN/20SAMVIDA /WAITING/23	श्री लखन वास्कले पिता श्री लक्ष्मण, पता-गाँव भवती, पोस्ट भवती, तहसील बरवानी, बड़वानी, जिला-बडवानी, मध्य प्रदेश, पिन-451551, मोबाईल-9981228525	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड थान्दला जिला- झाबुआ

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भौति वसूली योग्य होगी।


1-3-2024



02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि (म.प्र.सिविल सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र,स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 01.03.2024 से 15 दिवस की समयवधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


1.3.2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...कृ.पृ.उ..

पृ.क्र. 2066 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक 01/03/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, इन्दौर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
09. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- झाबुआ की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड थान्दला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित श्री लखन वास्कले पिता श्री लक्ष्मण, पता-गाँव भवती, पोस्ट भवती, तहसील बरवानी, बड़वानी, जिला-बड़वानी, मध्य प्रदेश, पिन- 451551, मोबाईल-9981228525 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


1.2.2024
प्रमुख अभियंता


कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन'बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 154 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
ST/NIL/OPEN/20SAMVIDA /WAITING/16	श्री अमरपाल अगारिया पिता श्री शिवपाल अगारिया, पता-91, ग्राम रामपुर, पोस्ट तमसर, तहसील कुस्मी, जिला-सीधी, मध्य प्रदेश, पिन-486669, मोबाईल-8839990261	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड अनूपपुर जिला-अनूपपुर

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


1.3.2024



02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि ,स्टायपेंड के रूप में देय होगा । परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा , उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र,स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 28 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 01.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।



1.3.2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...कृ.पृ.उ..

पृ.क्र. 2064 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक 01/03/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
09. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड अनूपपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- अनूपपुर की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड अनूपपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित श्री अमरपाल अगारिया पिता श्री शिवपाल अगारिया, पता-91, ग्राम रामपुर, पोस्ट तमसर, तहसील कुस्मी, जिला-सीधी, मध्य प्रदेश, पिन- 486669, मोबाईल-8839990261 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


1.3.2024
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन'बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 157 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
OBC/NIL/OPEN/20SAMVIDA/WAITING/14	श्री प्रदीप कुमार यादव पिता श्री राम यज्ञ यादव, पता-16, दारियान पुरवा, राजा, टोंथर, जिला-रीवा, मध्य प्रदेश, पिन- 486226, मोबाईल न.-8962437443	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड मउगंज जिला-मउगंज

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।

1.3.2024

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र,स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जाच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के जाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित जाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. यह नियुक्ति आदेश भविष्य में निर्णित होने वाली रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.24580/2023 के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
17. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 01.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(के.के.सोनगरिया)



प्रमुख अभियंता

....निरंतर...कृ.पृ.उ..

पृ.क्र. 2067 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक 01/03/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन रीवा की ओर सूचनार्थ।
09. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड मउगंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- मउगंज की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड मउगंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित श्री प्रदीप कुमार यादव पिता श्री राम यज्ञ यादव, पता-16, दारियान पुरवा, राजा, टोंथर, जिला-रीवा, मध्य प्रदेश, पिन- 486226, मोबाईल न.-8962437443 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


1.3.2024
प्रमुख अभियंता


कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन'बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nlc.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 142 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/WAITING/17	श्री/सुश्री पूजा गुप्ता पिता/पति श्री संजीव कुमार गुप्ता, पता-एफ 658, कमला नगर, कमला नगर आगरा, आगरा, जिला-आगरा, उत्तर प्रदेश, पिन- 282005,मोबाईल-7037919770	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड करैरा जिला-शिवपुरी


यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


1.3.2024

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र,स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 01.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


1-3-2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...कृ.पृ.उ..

पृ.क्र. 2052 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक 01/03/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
09. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- शिवपुरी की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड करैरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित सुश्री पूजा गुप्ता पिता/पति श्री संजीव कुमार गुप्ता, पता-एफ 658, कमला नगर, कमला नगर आगरा, आगरा, जिला-आगरा, उत्तर प्रदेश, पिन- 282005, मोबाईल-7037919770 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।

1-3-24
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 159

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टापपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
OBC/NIL/FEMALE/20SAMVIDA/WAITING/05	सुश्री सीमा सिंह पिता/पति श्री सतीश कुमार सिंह, पता-15, अटारिया 13, शार्क इन रेस्तरां के पास, रीवा, जिला-रीवा, मध्य प्रदेश, पिन-486001, मोबाईल न.-8878301835	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड त्योंथर जिला-मउगंज


यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।

1.2.2024

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र,स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के जाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित जाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. यह नियुक्ति आदेश भविष्य में निर्णित होने वाली रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.24580/2023 के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
17. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 01.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।


1.3.2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...कृ.पू.उ..

पृ.क्र. 2069 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024

प्रतिलिपि -

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन रीवा की ओर सूचनार्थ।
09. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड मउगंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- मउगंज की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड त्योंथर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित सुश्री सीमा सिंह पिता/पति श्री सिंह सतीश कुमार सिंह, पता-15, अटारिया 13, शार्क इन रेस्तरां के पास, रीवा, जिला-रीवा, मध्य प्रदेश, पिन- 486001, मोबाईल न.-8878301835 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती ।

1-3-2024
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन'बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nlc.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 148

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
EWS/NIL/OPEN/ 20SAMVIDA /WAITING/10	श्री मनीष तिवारी पिता श्री कृष्ण कुमार तिवारी, पता-194 केएच 184 एसई चौंटी टैंक, ग्राम बाकिया तिवारीन, पोस्ट बाकिया, तहसील रामपुर बघेलन, जिला-सतना, मध्य प्रदेश, पिन- 485111,मोबाईल- 9200458950	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड रायपुर कर्चुलियान जिला-रीवा

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


1.3.2024



02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 01.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।




1-3-24
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...कृ.पृ.उ..

पृ.क्र. 2058 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक 01/03/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन रीवा की ओर सूचनार्थ।
09. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- रीवा की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड रायपुर कर्चुलियान की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित श्री मनीष तिवारी पिता श्री कृष्ण कुमार तिवारी, पता-194 केएच 184 एसई चींटी टैंक, ग्राम बाकिया तिवारीन, पोस्ट बाकिया, तहसील रामपुर बघेलन, जिला-सतना, मध्य प्रदेश, पिन- 485111, मोबाईल- 9200458950 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


1.3.2024
प्रमुख अभियंता


कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 139 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/WAITING/1	सुश्री पूजा केशरी पिता/पति श्री दिलीप कुमार केशरी, पता-लक्ष्मण भवन, बिल्ली पनारी, अग्रवाल नगर कॉलोनी, ओबरा, जिला-सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, पिन-231219, मोबाईल-8887710327	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना उपखण्ड -1, परासिया जिला-छिन्दवाडा


यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।

1.3.2024

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र,स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 01.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


1-3-2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...कृ.पृ.उ..

पृ.क्र. 2049 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक 01/07/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ।
09. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड परासिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- परासिया की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परियोजना उपखण्ड -1 परासिया जिला छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित श्री/सुश्री पूजा केशरी पिता/पति श्री दिलीप कुमार केशरी, पता-लक्ष्मण भवन, बिल्ली पनारी, अग्रवाल नगर कॉलोनी, ओबरा, जिला-सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, पिन-231219, मोबाईल-8887710327 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


1.3.2024
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 158 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024


//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
OBC/NIL/OPEN/20SAMVIDA /WAITING/20	श्री अश्विन पाटीदार पिता श्री अजय पाटीदार, पता-76, मुक्तानांद पेरिसर, ओल्ड एबी रोड, धामनोद, जिला-धार, मध्य प्रदेश, पिन- 454552, मोबाईल न.-9165411222	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड बडवाहा जिला-खरगोन

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


1-3-2024



02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा। उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. यह नियुक्ति आदेश भविष्य में निर्णित होने वाली रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.24580/2023 के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
17. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 01.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।


(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...कृ.पृ.उ..

पृ.क्र. २०६० स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक ०१/०३/२०२४

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, इन्दौर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
09. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड खरगोन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- खरगोन की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड बडवाहा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित श्री अश्विन पाटीदार पिता श्री अजय पाटीदार, पता-76, मुक्तानांद पेरिसर, ओल्ड एबी रोड, धामनोड, जिला-धार, मध्य प्रदेश, पिन- 454552, मोबाईल न.-9165411222 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती ।


1.3.2024
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन'बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 144 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/ 20SAMVIDA/WAITING/15	श्री आदित्य कुमार द्विवेदी पिता श्री रमेश द्विवेदी, पता-वार्ड नं 07, पदरी पनी, बीजुरी, कोतमा, जिला-अनुपपुर, मध्य प्रदेश, पिन- 484440, मोबाईल-7224004939	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड ब्यौहारी जिला-शहडोल

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


1.3.2024



02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र,स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 01.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

1
1-3-2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...कृ.पू.उ..

पृ.क्र. 2054 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024

प्रतिलिपि -

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन शहडोल की ओर सूचनार्थ।
09. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल शहडोल की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- शहडोल की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित श्री आदित्य कुमार द्विवेदी पिता श्री रमेश द्विवेदी, पता-वार्ड नं 07, पदरी पनी, बीजुरी, कोतमा, जिला-अनुपपुर, मध्य प्रदेश, पिन- 484440, मोबाईल-7224004939 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


1-3-2024
प्रमुख अभियंता


कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 140 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/WAITING/12	श्री शुभम सिंह पिता श्री शत्रुघन सिंह, पता-मकान नं. 20 वार्ड नं 9, इंद्र नगर कॉलोनी, नागोद, सतना, जिला-सतना, मध्य प्रदेश, पिन- 485446, मोबाईल-7566124288	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड स्लीमनाबाद जिला-कटनी

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


1.2.2024



02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र,स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जा/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के जाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित जाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 01.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


1-3-2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता




.....निरंतर...कृ.पृ.उ..

पृ.क्र. 2050 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक 01/03/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
09. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- कटनी की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड स्लीमनाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित श्री/सुश्री शुभम सिंह पिता/पति श्री शत्रुघन सिंह, पता-मकान नं. 20 वार्ड नं 9, इंद्र नगर कॉलोनी, नागोद, सतना, जिला-सतना, मध्य प्रदेश, पिन- 485446, मोबाईल-7566124288 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


1-3-2024

प्रमुख अभियंता



कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nlc.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 150 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
SC/NIL/OPEN/20SAMVIDA/WAITING/17	श्री आनन्द वर्मा पिता श्री ओमप्रकाश वर्मा, पता-45576, चंपी मोहल्ला, नेहरू पार्क के पास, नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़, मध्य प्रदेश, पिन-465669, मोबाईल-8878461878	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड सिरोंज जिला-विदिशा

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


1.3.2024



02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जा/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 01.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


1-1-2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...कृ.पृ.उ..

पृ.क्र. 2060 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024

प्रतिलिपि -

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले.ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
09. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- विदिशा की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड सिरोंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित श्री आनन्द वर्मा पिता श्री ओमप्रकाश वर्मा, पता-45576, चंपी मोहल्ला, नेहरू पार्क के पास, नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़, मध्य प्रदेश, पिन- 465669, मोबाईल-8878461878 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।

1.3.2024
प्रमुख अभियंता

Ar

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन'बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 149

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 01/03/2024


//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
SC/NIL/OPEN/20SAMVIDA/WAITING/09	श्री गया प्रसाद अहिरवार पिता श्री द्वारिका प्रसाद , पता-121, पीतम्बर मंदिर के पीछे, सताई रोड पन्ना नाका, छतरपुर, जिला-छतरपुर, मध्य प्रदेश, पिन- 471001,मोबाईल-8319527449	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड उमरिया जिला-उमरिया

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


1-3-24

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र,स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 01.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


1-3-2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...कृ.पू.उ..

पृ.क्र. 2059 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक 01/03/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
09. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड उमरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- उमरिया की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड उमरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित श्री गया प्रसाद अहिरवार पिता श्री द्वारिका प्रसाद, पता-121, पीतम्बर मंदिर के पीछे, सताई रोड पन्ना नाका, छत्रपुर, जिला-छत्रपुर, मध्य प्रदेश, पिन- 471001, मोबाईल-8319527449 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


1.3.2024
प्रमुख अभियंता